

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज संख्या ०.००० से ६१.५०० तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित ३४.६७२५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १११४ वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित १०.६२ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १९४ वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित ४५.२९२५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १३०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/५९४५८/२०२०)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-१७४८/८१-२-२०२१-८००(१५१)/२०२१ दिनांक १२ नवम्बर २०२१ के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 11-11-2021 11:56:02

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।